लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
058/2023 (GCMS 2023/204)	21.07.2023	08.08.2023

अनवान

रियाज खान निवासी टाल एरिया पानी की टंकी के पास निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 24.05.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./058/2023(सू.अ.)(08.08.2023)/500 दिनांक 21.07.2023 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 08.08.2023 को अपील अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आज दिनांक तक वांछित सूचना अप्राप्त होना जाहिर किया। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से पत्रांक पत्रांक/आर.टी.आई./2023/380 दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.08.2023 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं होने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा जवाब/टिप्पणी के साथ उनके पत्रांक/आर.टी.आई./2023/377 दिनांक 07.08.2023 की छाया प्रति प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हाजिर अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 07.08.2023 में लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कार्यालय द्वारा पांच पृष्ठ की भ्रामक सूचना प्रदान की गई। अतः आवेदित समस्त सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क दिलवाई जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हाजिर अपीलार्थी को सुना गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाॅ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब/टिप्पणी में इस तथ्य को अवगत नहीं कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2023 सहायक लोक सूचना अधिकारी को किस दिनांक को प्राप्त हुआ है जबकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2023 को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया गया है कि एवं कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जाना बताया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/आर.टी.आई./2023/377 दिनांक 07.08.2023 से आवेदक को आवेदन निरस्त किये जाने बाबत सूचित किया गया हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम 2005 के तहत प्रावधित समायावधि में आवेदक के आवेदन का निस्तारण नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। सहायक लोक सूचना अधिकारी इस आधार पर आवेदन को निर्धारित समयावधि के पश्चात् निरस्त किया गया है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय से अपेक्षित नहीं है जबकि अधिनियम 2005 के तहत प्रावधित किया गया है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना दीगर कार्यालय से अपेक्षित होने पर अधिनियम 2005 की धारा 6(3) आवेदक के आवेदन को सक्षम लोक सूचना अधिकारी के पास निर्धारित समायावधि में अंतरित किया जाना प्रावधित है। हस्तगत प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि में सक्षम लोक सूचना को अंतरित कर सकते थे किन्तु अधिनियम 2005 के निर्धारित समयावधि के पश्चात् आवेदन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अधिनियम 2005 में प्रावधित निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रमाणित हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वांछित सूचना अधिनियम 2005 द्वारा प्रावधित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 24.05.2023 बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2023 से वांछित सूचना संबंधित कार्यालय से 20 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>08.08.2023</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official